

JKLC:SECTL:SE:25

4th September 2025

- | | |
|---|--|
| <p>1 BSE Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001
Security Code No. 500380
Through: BSE Listing Centre</p> | <p>2 National Stock Exchange of India Ltd.
“Exchange Plaza”
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Symbol: JKLAKSHMI, Series : EQ
Through: NEAPS</p> |
|---|--|

Dear Sir/Madam,

Re: Newspaper Advertisement of 85th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement, published in "Financial Express" (English Language-All Editions) and "Jagruk Times" (Hindi Language-Sirohi Edition) newspapers on 4th September 2025, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 for information relating to 85th Annual General Meeting and E-voting.

This is for your information and records.

Thanking You

Yours faithfully,
For JK Lakshmi Cement Limited

(Amit Chaurasia)
Company Secretary

Encl: a.a.

**NOTICE OF 85TH ANNUAL GENERAL MEETING,
E- VOTING AND RECORD DATE**

The 85th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Friday, the 26th September 2025 at 2:30 P.M., Indian Standard Time (AGM)** through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable Circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM. The procedure for attending the AGM through VC / OAVM is well explained in Notes to the Notice of AGM. Members participating in the AGM through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 containing the Financial Statements, Report of Directors and Auditors thereon and other documents required to be attached thereto and the Notice convening the AGM have been sent to the Members of the Company and other persons so entitled, whose E-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent : MCS Share Transfer Agent Ltd., New Delhi (RTA) or Depository Participants (DP), on 3rd September 2025. The aforesaid document(s) are also available and can be downloaded from the website of Company at <https://www.jklakshmicement.com/annual-report-and-agm-company/> website of the Stock Exchanges i.e. BSE Ltd. at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Record Date: The Company had fixed **Thursday, 12th June 2025** as Record Date for the purpose of payment of Dividend for the Financial Year 2024-25, if declared at the AGM.

E-Voting: The Company is providing to its Members, holding Equity Shares either in physical or dematerialized form as on **Friday, 19th September 2025 (Cut-off Date)**, the facility to exercise their right to vote by electronic means, in the following manner, in respect of the items to be considered/ resolutions proposed to be passed at the AGM, through E-Voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL):

(A) **Remote E-Voting:** The remote E-Voting period commences **Monday, 22nd September 2025 (10.00 A.M.)** and ends on **Thursday, 25th September 2025 (5.00 P.M.)** The remote E-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.

(B) **E-voting at the AGM:** The facility for E-Voting shall also be made available at the AGM to those Members who have not cast their vote by remote E-Voting and are attending the AGM through VC or OVAM.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Cut-off Date, only shall be entitled to avail the facility of remote E-Voting or E-Voting at the AGM.

The manner of remote E-Voting/ E-Voting at the AGM by the Members holding shares in dematerialized mode/ physical mode & registering E-mail address of Members who have not registered their E-mail addresses and information, instructions and procedure relating to Login ID and Password for E-Voting, are provided in the Notice of AGM which is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com

The Members who have already cast their vote by remote E-Voting, prior to the date of AGM, may also attend the AGM through VC or OVAM, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for E-Voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for E-Voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through E-Voting.

Manner of registering/ updating E-mail addresses and Bank Account details for receiving Notice/ Annual Report and Dividend electronically (KYC):

(A) **Shares held in Physical Mode:** Please register/update the KYC details with the Company's RTA, MCS Share Transfer Agent Limited at 179-180, DSIDC Shed, 3rd Floor, Okhla Indl. Area, Phase-I, New Delhi- 110020 or Email: admin@mcsregistrar.com in prescribed Form ISR-1 duly filled and signed along with other relevant forms. Members may access the relevant Forms available on the website of the Company at <https://www.jklakshmicement.com/kyc-documents/>;

(B) **Shares held in Demat Mode:** Please contact your DP and register/update your KYC details in your demat account, as per the process advised by your DP.

After due verification and if requested, the Company/ RTA will forward the procedure for obtaining their login credentials to their registered E-mail address.

Further, to create awareness among Members to update their KYC details and claim any unpaid or unclaimed dividends before they get transferred to the Investor Education and Protection Fund ["IEPF"], IEPF Authority, Ministry of Corporate Affairs has via its communication dated 16th July, 2025 requested companies to launch a 100 days Campaign - "Saksham Niveshak", to reach out to shareholders whose dividend remain unpaid/unclaimed. We therefore request all Members to update their KYC details as explained in the points (A) and (B) mentioned above and claim their unclaimed dividend, if any.

Any grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an E-mail to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 18002109911. You may also write to the Company at its Secretarial Office given above for any assistance.

For JK Lakshmi Cement Limited



Place: New Delhi
Date : 3rd September 2025

Sd/-
Amit Chaurasia
Company Secretary

**85वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग
व रिपोर्ट तिथि की जानकारी**

कम्पनी के सदस्यों को 85वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 26 सितम्बर, 2025 को 2:30 बजे अपराह्न, भारतीय मानक समय, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सभी लागू होने योग्य प्रावधानों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अध्याय) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सीबी) द्वारा इस विषय पर जारी सभी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की आहूत सूचना में निहित व्यवसाय के सम्बन्ध में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ऑनलाइन वोटिंग (ओएपीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना की दिनांकियां में माली-भाति समझाया गया है। वीसी/ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के अन्तर्गत कोरम की गणना हेतु संगणित किया जाएगा।

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण, निदेशकों एवं अंशधारकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ सलून होने हेतु वांछित अन्य दस्तावेज एवं एजीएम की आहूत सूचना कम्पनी के सदस्यों एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों का भेजा गया है, जिनका ईमेल पता कम्पनी/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, नई दिल्ली (आरटीए) अथवा डिर्पोजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ 3 सितम्बर, 2025 को पंजीकृत है। पूर्णक दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <https://www.jklakshmicement.com/annual-report-and-agm-company/> तथा स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं तथा डाउनलोड किए जा सकते हैं।

रिपोर्ट तिथि: कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, बृहस्पतिवार, 12 जून 2025 को रिपोर्ट तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

ई-वोटिंग: कम्पनी अपने सदस्यों, शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 (कट-ऑफ तिथि) के अनुसार भौतिक या डिजिटल माध्यमों में समता शेयर धारकों, को एजीएम में विचारित मर्दाने/परिचित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वोट देने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा, सेंट्रल डिर्पोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, डिजिटल तौर पर, प्रदान कर रही है।

(अ) रिपोर्ट ई-वोटिंग: रिपोर्ट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 22 सितम्बर, 2025 (10.00 बजे पूर्वार्ध) से आरम्भ होगी तथा बृहस्पतिवार, 25 सितम्बर, 2025 को (5.00 बजे अपराह्न) समाप्त होगी। रिपोर्ट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी।

(आ) एजीएम में ई-वोटिंग: एजीएम में उन सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है तथा वीसी या ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिर्पोजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभांशियों के रजिस्ट्रार में कट-ऑफ तिथि पर दर्ज हो, केवल वही व्यक्ति रिपोर्ट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

डिजिटल माध्यमों पर/भौतिक तौर पर शेयर प्रत्यक्ष करने वाले सदस्यों तथा वैसे सदस्य जिनमें अपना ईमेल पता तथा जानकारी पंजीकृत नहीं किया है हेतु ईमेल पता पंजीकरण, रिपोर्ट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग की प्रणाली, ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से संबंधित निर्देश और प्रक्रिया, एजीएम की सूचना में प्रदान किए गए हैं जो कि सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने एजीएम की तिथि से पहले ही रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया हो, वे भी वीसी या ओएपीएम के माध्यम से एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु वे एजीएम में पुनः वोट करने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

काई भी व्यक्ति, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना प्रेषित होने के पश्चात् कम्पनी के शेयरों को अधिग्रहित करता एवं सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि के अनुसार समता शेयर प्रत्यक्ष रखता है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करके लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है, तो ऐसे सदस्य ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए वर्तमान लॉगिन विवरण का उपयोग कर सकते हैं।

सूचना/वार्षिक रिपोर्ट एवं लाभांश प्राप्त करने हेतु ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण पंजीकरण/अद्यतन करने की प्रणाली ('केवाईसी'):

(अ) भौतिक तौर पर धारित शेयर: कृपया अपना KYC विवरण निर्धारित फॉर्म ISR-1 में विहित भर कर एवं हस्ताक्षरित तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों सहित कम्पनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ 179-180, डीएसआईडीसी रोड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फज-1, नई दिल्ली-110020 पर अथवा admin@mcaregistrar.com पर ईमेल भेजकर पंजीकृत/अद्यतन करें। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट <https://www.jklakshmicement.com/kyc-documents/> पर जाकर उपलब्ध प्रासंगिक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

(आ) डीमैट तौर पर धारित शेयर: कृपया अपने डीपी से संपर्क करें तथा अपना उपरोक्त केवाईसी विवरण अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/अद्यतन करें।

उचित सत्यापन के पश्चात् और यदि अनुरोध किया जाता है, तो कम्पनी/आरटीए उनका वैधानिक क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर प्रेषित करेगी।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों में अपने केवाईसी विवरण अपडेट करने तथा विनिधानकर्ता शिक्षा और संस्था निधि [आईडीपीएफ] में हस्ताक्षरित होना से पहले किसी भी अदत या दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, आईडीपीएफ प्राधिकरण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 16 जुलाई, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से कम्पनियों से अनुरोध किया है कि वे उन शेयरधारकों तक पहुंचने के लिए 100 दिनों का अभियान - "सक्षम निवेशक" आरम्भ करें जिनका लाभांश भुगतान/दावा नहीं किया गया है। अतः हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे ऊपर उल्लिखित बिंदु (अ) और (आ) में बताए अनुसार अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें और अपने अदत लाभांश, यदि कोई हो, का दावा करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, श्री राकेश दल्लू, चरिटेड प्रबंधक, सेंट्रल डिर्पोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मेरथन पयुवरकस, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लाजर परेड (एन), मुम्बई - 400013 अथवा ईमेल helpdesk.evoting@cdsindia.com अथवा 18002109911 का संघोषित किया जा सकता है। किसी भी सहायता हेतु कम्पनी के सचिवीय कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

कुते जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

दिनांक: 3 सितम्बर, 2025

अमित चौरसिया

स्थान: नई दिल्ली

कम्पनी सचिव